

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS 3.0/11/ 6664

दिनांक 02/02/2025

परिपत्र

विषय:- IFMS 3.0 में कर्मचारियों के Service Details का अनिवार्य रूप से अद्यतन/सत्यापन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS 3.0) के अंतर्गत पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विभागों/ PD खाता संचालकों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, पेंशन एवं अन्य भुगतानों की प्रक्रियाएँ संचालित की जा रही हैं।

IFMS 3.0 में कर्मचारियों की Service Cadre के आधार पर विभिन्न System Validations लागू किए गए हैं, जिनमें Service Category, Sub-Service Category तथा Service Cadre के अनुसार Designation जैसे महत्वपूर्ण फील्ड सम्मिलित हैं। इन फील्ड्स के सही रूप से भरे जाने पर कर्मचारी का Parent Department, सेवानिवृत्ति की तिथि, Pay Level आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होते हैं तथा वेतन, भत्तों एवं अन्य देयकों का नियमन System Defined नियमों के अनुसार किया जाता है।

वर्तमान में Pay Manager / PRI Pay Manager से माइग्रेट किए गए डाटा में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के Service Details से संबंधित फील्ड या तो रिक्त हैं अथवा त्रुटिपूर्ण रूप से भरे गए हैं। यद्यपि IFMS 3.0 में उक्त फील्ड्स के अद्यतन/सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, तथापि विभिन्न आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDOs) द्वारा अब तक यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप महालेखाकार, राजस्थान द्वारा कर्मचारियों के अनियमित भुगतानों से संबंधित प्रकरण राज्य सरकार की जानकारी में लाए जा रहे हैं।


इस संबंध में पूर्व में भी वित्त (कोषागार एवं लेखा) विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 4823 दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद वर्तमान में काफी संख्या में कर्मचारियों के Service Details IFMS 3.0 में अद्यतन नहीं किए गए हैं, जिससे System Validations प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही हैं।

अतः IFMS 3.0 में लागू सभी System Validations को पूर्णतः प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं—

1. समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों की Service Details, Service Category, Sub-Service Category, Designation as per service cadre आदि IFMS 3.0, में Service Cadre के अनुसार सही रूप से भरकर सत्यापित एवं अद्यतन किए जाएँ।

2. यह कार्य संबंधित DDOs द्वारा तत्काल प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए।
3. उपर्युक्त समस्त डाटा का अद्यतन एवं सत्यापन सही रूप से नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित DDO एवं विभागाध्यक्ष पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
4. IFMS 3.0 एक प्रणाली-आधारित सुविधा प्रदान करता है। प्रणाली में गलत मैपिंग अथवा किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान के प्रकरणों में GF&AR के प्रावधानों के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष का ही उत्तरदायित्व होगा।
5. जिन कार्मिकों का डेटा अपडेट नहीं होगा उनका माह मार्च 2026 देय माह अप्रैल 2026 का वेतन बिल नहीं बनाया जा सकेगा, जिसके लिए आहरण वितरण अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे।

समस्त विभागाध्यक्षों से अपेक्षा है कि वे इस विषय को गंभीरता से लेते हुए माह फरवरी 2026 देय माह मार्च 2026 के वेतन भुगतान से पूर्व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, ताकि IFMS 3.0 के माध्यम से पारदर्शी, नियमसम्मत एवं त्रुटिरहित भुगतान प्रणाली स्थापित की जा सके।


(राजन विशाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS 3.0/11/ 6664

दिनांक 02/02/26

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
9. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
10. उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
11. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (वित्तीय नियम) विभाग, सचिवालय, जयपुर
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
14. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर।
15. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
16. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
17. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर।

निदेशक
2/2/2026
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव